

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राकेश कुमार,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
मुख्य वास्तुविद
सभी अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल
सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक-18/9/23

विषय:- Harmonised Guideline & Standards for Universal Accessibility in India 2021 में दिये गये प्रावधानों का प्रयोग के संबंध में।

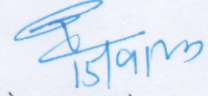
प्रसंग:- सहायक अभियंता, साउथ बेली रोड अवर प्रमंडल, पटना, बिहार का पत्रांक-246(अनु0), दिनांक-11.09.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भवनों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपयोग किये जा रहे हैं Harmonised Guideline & Standards for Universal Accessibility in India 2021 में दिये गये दिशा निदेश के आलोक में नए निर्माण किये जाने वाले भवनों में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पूर्व में बने हुए भवनों में भी इसका उपयोग यथासंभव Retrofitting के द्वारा किया जाए। सुलभ प्रसंग हेतु Harmonised Guideline & Standards for Universal Accessibility in India 2021 की छायाप्रति (Soft copy) में संलग्न की जा रही है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन



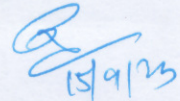
(राकेश कुमार)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

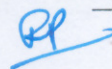
पटना/ दिनांक- 18/9/23

ज्ञापांक- 7565 (अ) 18/9/23

प्रतिलिपि:-आई.टी. मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव



सहायक अभियंता, साउथ बेली रोड, अवर प्रमंडल, पटना का कार्यालय,
भवन निर्माण विभाग, पटना

पत्रांक- 246 (अनु.)

दिनांक- 11.09.2023

प्रेषक,

गौरव कुमार,
सहायक अभियंता,
साउथ बेली रोड अवर प्रमंडल, पटना।

सेवा में,

निदेशक अनुश्रवण,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा
आयोजित Accessibility Training के संबंध में।

प्रसंग:- निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय का ज्ञापांक 978 दिनांक
25.08.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा National CPWD Academy (NCA), Ghaziabad में दिनांक 28.08.2023 से 30.08.2023 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। प्रशिक्षण में बताया गया कि भवन में दिव्यांगजनों के सुविधा हेतु भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा Harmonised Guideline & Standards for Universal Accessibility in India 2021 में दिये गये प्रावधानों का प्रयोग नये भवन में किया जाय एवं पूर्व से बने हुए भवन में रेट्रोफिटिंग के द्वारा किया जाय। इस क्रम में Harmonised Guideline & Standards for Universal Accessibility in India 2021 की छायाप्रति संलग्न कर सभी संबंधित को आवश्यक निदेश दिया जा सकता है।

अनु0-यथोक्ता।

विश्वासभाजन

(गौरव कुमार)

सहायक अभियंता,

साउथ बेली रोड, अवर प्रमंडल, पटना

उप निदेश 1

12.9.23

21/9/23

12/9/23